सं० सं०–टी–3 / भू–अर्जन–48 / 2016–......194...... /

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक:– विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/ प ट ना, दिनांक–......22...... / ......01...... / 2019

विषय:– राज्य सरकार के सात निश्चय के तहत सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नवस्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेलसण्ड के भवन निर्माण हेतु मौजा–बेलसण्ड कला में कुल 3.00 एकड़ रैयती भूमि बिहार रैयती भूमि लीज नीति–2014 के तहत सतत् लीज पर लिए जाने के निमित्त कुल राशि 3,00,00,000.00 (तीन करोड़) रू० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के सात निश्चय के तहत सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नवस्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेलसण्ड के भवन निर्माण हेतु मौजा–बेलसण्ड कला में कुल 3.00 एकड़ रैयती भूमि बिहार रैयती भूमि लीज नीति–2014 के तहत सतत् लीज पर लिए जाने के निमित्त समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के पत्रांक–3069 / रा०, दिनांक–06 / 12 / 2018 द्वारा कुल राशि 3,30,00,000.00 (तीन करोड़ तीस लाख) रू० मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। स्टाम्प धारा 1899 के कंडिका–3 (1) के आलोक में यदि निबंधन सरकार के पक्ष में हो तो स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की सरकार द्वारा देनदारी हो तो उस परिस्थिति में शुल्क से मुक्त करने का प्रावधान है। तदालोक में कुल राशि 3,00,00,000.00 (तीन करोड़) रू० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–050 भूमि, उप शीर्ष–0101–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू– अर्जन के लिए, विपत्र कोड– 26–4250000500101 के विषय शीर्ष–0101.53.02 भू–अर्जन स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा।

3– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेलसण्ड (सीतामढ़ी) होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4– इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सीतामढ़ी से की जायेगी तथा प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेलसण्ड (सीतामढ़ी) राशि की निकासी कर सतत् लीज के अधीन देय राशि हितबद्ध रैयतों को Account Payee Cheque के माध्यम से लीज के निबंधन की तिथि को उपलब्ध करायेंगे।

5– संचिका सं०–टी–3 / भू–अर्जन–48 / 2016 के पृ० –......56...... / टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6– प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7– भू–अर्जन की प्रक्रिया इसी वित्तीय वर्ष पूरा कर लिया जाय।

8– ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति श्रम संसाधन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

22/1/19

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक– टी–3/भू–अर्जन–48/2016 –......194...... /प ट ना, दिनांक–...22.../...01.../2019

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/1/19

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3/भू–अर्जन–48/2016 –......194...... /प ट ना, दिनांक–...22.../...01.../2019

प्रतिलिपिः–आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/जिला कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/1/19

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3/भू–अर्जन–48/2016 –......194...... /प ट ना, दिनांक–...22.../...01.../2019

प्रतिलिपिः– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेलसण्ड (सीतामढ़ी)/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/1/19

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

(4)